केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/141 — दिनांक: 11.07.2019

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00123
CICOM/R/2019/00392

अपीलकर्ता : श्री गिरीश कुमार सिन्हा,
पुत्र - स्व0 बच्चू प्रसाद,
मो0 - संतर, वार्ड नं. 13,
लखीसराय, जिला - लखीसराय,
बिहार - 811311.

निर्णय की तारीख: 11.07.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	06.05.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	27.05.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. एस. रोहिला
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	26.06.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	209/09.07.2019 (14236/03.07.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 06.05.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रेषित दिनांक 07.05.2018 के पत्र से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी । जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस. एस. रोहिला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री एस. एस. रोहिला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को दिनांक 27.05.2019 को प्रेषित की गई सूचनाएं बिल्कुल तथ्यानुसार हैं तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

3. प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने द्वितीय अपील सं. CIC/SB/A/2016/000324 के तहत आयोग के आदेश पर भी प्रश्न उठाए हैं, इस संदर्भ में अपीलकर्ता को अवगत करवाया जाता है कि द्वितीय अपील आदेश पर प्रथम अपीलीय अधिकारी या जन सूचना अधिकारी द्वारा किसी तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती।

4. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

C.I.C./के० सू० आ०
RECEIVED
11 JUL 2019
D. No.
Initials

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री एस. एस. रोहिला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।